

प्रेषक,

जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी
अलीगढ़।

सेवा में,

प्रबन्धक,
डी०पी०एस० वर्ल्ड स्कूल,
खैर, अलीगढ़।

पत्रांक/बोमान्यता/ १८६८६

/2016-17

दिनांक— १७-१२-१६

विषय— निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण पत्र।
महोदय,

आपके तारीख 05.08.2016 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्यर्थी पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, मैं— डी०पी०एस० वर्ल्ड स्कूल, खैर अलीगढ़ को तारीख 01.04.2016 से तारीख 31.03.2019 तक तीन वर्ष की अवधि के लिये कक्षा नवारी से कक्षा ०८ तक (अंग्रेजी माध्यम) के लिये अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित जारी के पूरा किये जाने के अध्यीन है।

१—मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा ५ के पश्चात मान्यता/संवधन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

२—विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 (उपांध-१) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम-2010 (उपांध-२) के उपबंधों का पालन करेगा।

३—विद्यालय कक्षा १ में (या यथास्थिति, नवारी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के २५ प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमज़ोर बगों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।

४—पैसा-३ में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय का अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधो के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तिया प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृष्ठक बैक खाता रखेगा।

५—सोसाइटी/विद्यालय किसी कौपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रक्रिया के अध्ययीन नहीं करेगा।

६—विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधो का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।

(१)—प्रवेश दिए गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।

(२)—किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्ययीन नहीं किया जाएगा।

(३)—प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई वोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(४)—प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।

(५)—अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशुल्कता ग्रस्थ/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

(६)—अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा-23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह है कि विद्यालय अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रश्न पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

(७)—अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और

(८)—अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेगा।

७—विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

८—विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाये रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं—

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल
 कुल निर्मित क्षेत्र
 कीड़ा-स्थल का क्षेत्रफल
 कक्षाओं की संख्या
 प्राध्यापक—सह कार्यालय—सहभण्डारगार के लिये कक्ष
 बालक और बालिकाओं के लिये पृथक शैक्षालय
 पेयजल सुविधा
 मिठ-डे-मील पकाने के लिये रसोई
 बाधारहित पहुंच
 अध्यापन पठन सामग्री/कीड़ा खेलकूद उपस्करो/पुस्तकालय की उपलब्धता

- 9—विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई और मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं बलाई जाएगी।
- 10—विद्यालय भवनों या अन्य सरचनाओं या कीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जाता है।
- 11—विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1880 (1880 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विद्यि के अधीन गठित किसी लोक च्यास द्वारा घलाया जा रहा है।
- 12—स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं घलाया जा रहा है।
- 13—विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिये और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिये। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिये।
- 14—आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक है। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्यांक का उल्लेख करे।
- 15—विद्यालय ऐप्टेट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-अम्य पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन का सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जाए।
- 16—सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
- 17—सलान उपायों के अनुसार अन्य कोई शर्त।

भवदीय

(धीरेन्द्र कुमार)
 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
 अलीगढ़।